

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (द्वितीय), सीकर

बनाम _____

मु. नं. _____

वर्ष _____

आज्ञा - पत्र

4/4/23

पत्तापत्नी पत्राद्वारा पत्नी व
वादी स्वयं - सामान्य समझौता तब वर
वर कावाज लगावने के बावजूद सामान्य
के उपलब्ध नहीं। अतः पत्तापत्नी को अदर
दा करी व अदर करी के ब्याज का उभा
जाता है। पत्तापत्नी को अदर का अदर नंबर
के अदर का अदर करी

66
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (द्वितीय), सीकर